संOसंO 2/एम–45/2016
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन,
बिहार ।

पटना, दिनांक :

विषय : चिकित्सकों का स्थानांतरण/पदस्थापन तथा प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय पत्रांक 839(2) दिनांक 01.07.2015 एवं 1161(2) दिनांक 04.08.2016 का संदर्भ किया जाय। उक्त पत्रों द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों के जिलान्तर्गत स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कतिपय स्पष्ट निदेश दिये गये है। इसके बावजूद प्रायः सभी जिला से इस आशय की सूचना/शिकायत/परिवाद प्राप्त होता है कि सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से विभागीय निदेश के इतर चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति कर दिया जाता है। इससे प्रशासनिक जटिलताएँ उत्पन्न होती है और ऐसे मामलों से संबंधित वाद माननीय न्यायालय में दायर किया जाता है जिससे विभाग पर आनावश्यक कार्यबोझ बढ़ता है।

2. अतएव प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि:–

(क) विभाग द्वारा स्थान विशेष पर पदस्थापित चिकित्सकों को स्थानीय स्तर से कदापि अन्यत्र स्थानांतरित–पदस्थापित नहीं किया जाए और न विभागीय पूर्वानुमति के अन्यत्र प्रतिनियुक्त किया जाए।

(ख) जिन चिकित्सकों की सेवा विभाग द्वारा सर्जेसी में दी जाती है या जो चिकित्सक अतिरेक पाये जाते हैं या अन्यथा यथा अध्ययन अवकाश आदि के पश्चात वैध आधार पर सर्जेसी में योगदान करते हैं, उन्हें हीं स्थानीय स्तर से प्रकिया का अनुपालन करते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त–पदस्थापित किया जाय एवं वस्तुस्थिति से विभाग को अविलम्ब अवगत कराते हुए तद्संबंधी सम्पुष्टि/आदेश प्राप्त कर लिया जाए ।

(ग) आवश्यकता विशेष यथा–पर्व/त्योहार/विशिष्ट अतिथि आगमन/आपदा/महामारी के समय अथवा स्थानीय प्रशासन के निदेश पर आवश्यक चिकित्सकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर से औचित्य के साथ सुनिश्चित अवधि मात्र के लिए की जा सकती है, परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्तियों की सूचना विभाग को on time भेजी जाये।

3. अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन अचूक रूप से सुनिश्चित किया जाय अन्यथा सम्बन्धित सिविल सर्जन को इस हेतु उत्तरदायी मान कर उनके विरुद्ध जवाबदेही तय की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)

ज्ञापांक : 1350(2) /स्वा0, पटना, दिनांक : 18-07-2019

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थिति सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/7/2019
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य

D:\Sec-2\2019 data\letter & Order sec-2/13.1.2019.docx